जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 14.03.2023**

आज दिनांक 14.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना बखिरा पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बखिरा पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित 02 अभियुक्त नाम पता क्रमशः 1.सफात मोहम्मद पुत्र शाहमोहम्मद, 2- मो0 अहमद पुत्र शफात मोहम्मद निवासीगण नौरो थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 14.03.2023 को हरदी नहर पुलिया के पास से त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- आज दिनांक 14.03.2022 को वादी श्री शद्दाम उर्फ जमाल अहमद पुत्र शैय्यद अली निवासी नौरो थाना बखिरा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उक्त विपक्षीगणों द्वारा मकान बनाने की रंजिश को लेकर उसके पिता शैय्यद अली को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया। उक्त संबंध में थाना बखिरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.सफात मोहम्मद पुत्र शाहमोहम्मद निवासी नौरो थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

2- मो0 अहमद पुत्र शफात मोहम्मद निवासी नौरो थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 85 / 2023 धारा 307 / 323 / 504 / 506 भादवि व बढोत्तरी धारा 4/ 25 शस्त्र अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

01 अदद अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, उ0नि0 श्री रामदरश यादव, कां0 चन्दन यादव, कां0 कपिलदेव गौड़, कां0 मनीष कुमार खरवार

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 04 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत **थाना मेहदावल पुलिस** द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता 1.निवास पुत्र दल्लू 2.दुर्बल पुत्र सीता 3.रामशरन पुत्र दल्लू 4.रामकुमार पुत्र कैलाश निवासीगण नगपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दुबे (चौकी प्रभारी नौलखा), उ0नि0 श्री रामउग्रह प्रसाद, मु0आ सदानंद यादव, मु0आ0 कैलाश पाण्डेय, मु0आ योगेंद्र यादव, आ विक्रम शाह,आ0 जितेंद्र कुमार यादव।।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 17 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1485 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत हड़िया माफी से इवेन्ट संख्या 10585 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (1- घनश्याम पुत्र अंगद, 2- रामचन्दर पुत्र सहदेव जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 08 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु जरिए एंबुलेंश से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामचन्द्र यादव, आ0 हरिशंकर गौड़, आ0चा0 अम्बरीश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 84 वाहनो से 85,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 84 वाहनों से 85,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया